राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–830/2016/~~जयपुर~~

श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री आसकरण प्रजापत
जयपुर

.....प्रार्थीया.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, चुरू।
2. उप पंजीयक सुजानगढ, चुरू।
3. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर (मुद्रांक), चुरू।
4. श्री भैराराम पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति कुम्हार
   वार्ड नं. 25, लाडनूं जिला नागौर।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अभिषेक शर्मा
अभिभाषक। .....प्रार्थीया की ओर से.
श्री डी.पी. ओझा
उप राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.09.2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा विद्वान जिला कलक्टर, चुरू (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 14.01.2016 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 35 सपठित धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलक्टर ने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 सुनवाई के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किया है।

2. संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 4 ने एक भूखण्ड वार्ड नं. 7, राजाजी मोहल्ला सुजानगढ़ जिसका क्षेत्रफल 113.75 स्कावयर मीटर जो कि 24 वर्ष पुराना निर्मित था, अपनी बहन श्रीमती रामेश्वरी देवी प्रार्थीया को गिफ्ट किया। जिसका उप पंजीयक, सुजानगढ़ ने उपहार पत्र संख्या 201300305 दि 24.01.2013 को सम्पादित किया। उप पंजीयक ने सम्पत्ति का मूल्यांकन वाणिज्यिक दर से निर्धारित करते हुए कमी मुद्रांक राशि 67,100/– रूपये वसूल किये। उप पंजीयक, सुजानगढ़ द्वारा अधिक वसूल की गई राशि से व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 के तहत कलक्टर के समक्ष विवादित सम्पत्ति का वास्तविक मूल्यांकन निर्धारित करने हेतु आवेदन किया गया। कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 14.01.2016 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए आदेश दिया कि उनका सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है जिससे व्यथित होकर ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी लिए जाने का उल्लेख करते हुए अधिशेष राशि रिफण्ड करने बाबत प्रार्थीया ने यह निगरानी राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. प्रार्थीया के अभिभाषक कथन किया कि उप पंजीयक, सुजानगढ़ ने मनगढ़त, गैर कानूनी रूप से वाणिज्यिक दर से उक्त भू–खण्ड का पंजीयन किया जबकि गिफ्टेड लेण्ड सीधी सड़क से अलग 7 फीट की गैलरी से जुड़ी है एवं दुकान के पीछे की है। उक्त भूखण्ड खाली आबादी भूमि का है एवं किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य की नहीं है। उप पंजीयक द्वारा वाणिज्यिक दर से ली गई अधिक राशि मय ब्याज प्रार्थीया को लौटाये जाने का निवेदन किया। इन्होंने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर चुरू द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया गया है तथा यदि प्रकरण से संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं था तो उन्हें सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र वापिस लौटाया जाना चाहिए था।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र में दिए गए तथ्यों के आरोपों को अस्वीकृत करते हुए जवाब प्रस्तुत किया है कि उक्त सम्पत्ति का पंजीयन का सही मूल्यांकन कर प्रभावी कानून एवं नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीया नियमानुसार किसी भी प्रकार के रिफण्ड की हकदार नहीं है। राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 की धारा 35 के अन्तर्गत इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं होने का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को उनके क्षेत्र में स्थित किसी भी सम्पत्ति का मूल्यांकन करने के अधिकार प्राप्त है एवं इस प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रार्थना पत्र कलक्टर मुद्रांक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुए भूलवश जिला कलक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस कारण जिला कलक्टर को प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.01.2016 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 10 के अनुसार यदि कोई वाद सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाकर अन्य न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो ऐसा वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वादी/प्रार्थी को वापिस लौटाया जाना चाहिए। विचाराधीन प्रकरण में जिला कलक्टर चुरू ने आदेश 7 नियम 10 सीपीसी की पालना नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो कि विधि के उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप नहीं है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 का उल्लेख निम्नानुसार है :–

35: **Adjudication as to proper stamp** : -
(1) When any instrument, whether executed or not and whether previously

लगातार.....3

stamped or not, is brought to the Collector, and the person brining it applies to have the opinion of that officer as to the duty, if any, with which it is chargeable, and pays a fee or such amount [1] [(not exceeding two hundred rupees and not less than fifty rupees)] as the Collector may in each case direct, the Collector shall determine the duty, if any, with which in his judgment, the instrument is chargeable.

(2) For this purpose the Collector may require to be furnished with[2] [a true copy or] an abstract of the instrument, and also with such affidavit or other evidence as he may deem necessary to prove that all the facts and circumstances affecting the chargeability of the instrument with duty, or the amount of the duty with which it is chargeable, are fully and truly set forth therein, and may refuse to proceed upon any such application until such2 [a true copy or] abstract and evidence have been furnished accordingly:

Provided that, -

(a) No evidence furnished in pursuance of this section shall be used against any person in any civil proceeding, except in an inquiry as to the duty with which the instrument to which it relates is chargeable; and

(b) every person by whom any such evidence is furnished shall, on payment of the full duty with which the instrument to which it relates, is chargeable, be relieved from any penalty which he may have incurred under this Act by reason of the omission to state truly in such instrument any of the facts or circumstances aforesaid.

(3) Where the Collector has reason to believe that the market value of the property has not been truly set forth in the instrument brought to him for determining the duty under sub-section(1) he may, after such inquiry as he may deem proper and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person bringing the instrument, determine the market value of such property for the purpose of duty.

विधि के उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया समुचित स्टाम्प के बारे में न्याय निर्णयन हेतु सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर सकती है तथा अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

8. परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए कलक्टर, चुरू का आदेश दिनांक 14.01.2016 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण कलक्टर मुद्रांक, चुरू को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में नियमानुसार एवं विधि सम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही जिला कलक्टर, चुरू को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली कलक्टर (मुद्रांक), चुरू को शीघ्र भिजवाऐ। सम्पादित गिफ्ट डीड दिनांक 24.01.2013 के संबंध में प्रार्थीया ने धारा 35 का प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर चुरू के 22.02.2013 को पेश किया है। जिला कलक्टर चुरू के आदेश दिनांक 14.01.2016 के विरूद्ध यह निगरानी दिनांक 12.04.2016 को प्रस्तुत की है जो समय सीमा में है। अतः कलक्टर (मुद्रांक) चुरू को विचाराधीन प्रकरण समय सीमा में मानते हुए यथा संभव तीन माह में नियमानुसार एवं विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य